

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीया

1 श्रीमति विमला पत्नि श्री ओमप्रकाश
जाति सेन नि. जावाल
तहसील व जिला सिरोही

अप्रार्थी

1-स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 190 / 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीया श्री अशोक पुरोहीत व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक कोर्ट/2024/315 दिनांक 11-06-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थीया को उपलब्ध करवाई गई । प्रकरण में वकील प्रार्थीया व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सूनी गई । हमने वकील प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली भी गहनातापूर्वक अवलोकन कर उस मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डवाडा पटवार हल्का मण्डवाडा तहसील सिरोही के खाता संख्या 16 खसरा संख्या 167 कुल किता 01 रकबा 1.83 हैक्टर में प्रार्थीया का अशुद्ध/गलत नाम ईका पुत्री चुनीया के स्थान पर वास्तविक व सही नाम विमला पुत्री चुनाराम संशोधन कर उक्तुसार राजस्व रेकॉर्ड/जमांबदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें</p>	



लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)